## MANUAL – 15

## SEC 4. (1) (b) (xv) THE PARTICULARS OF FACILITIES AVAILABLE TO CITIZENS FOR OBTAINING INFORMATION, INCLUDING THE WORKING HOURS OF A LIBRARY OR READING ROOM, IF MAINTAINED FOR PUBLIC USE

At present the library is meant for reference purpose for the officials of this organization. It do have technical books, administrative books, periodicals, and other reference books and manuals for internal use.

The organization has already launched its web site, http://www.txcindia.gov.in, where all basic information is available. The public has free access to this information including downloading of required information.

The public can call on senior officers of this organization as well as Officer-in-charge of Regional Offices and Integrated Textile & Apparel Development Center (ITADC) during office hours for any information / guidance. They are also free to meet Joint Textile Commissioner, Addl. Textile Commissioners and Textile Commissioners on prior appointment, if their problems are not resolved at senior officer level.

Press Note is issued from time to time for public awareness and guidance on various matters and wide coverage is given to such press information.

Public grievances officers are appointed at Headquarters and Regional Offices, who are approachable during specified timings or by letter or telephone etc.

## मैनुअल – 15

**धारा 4. (1) (बी) (xv) नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय (यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए हो) के कामकाज का समय भी शामिल हैं।**

वर्तमान में पुस्तकालय इस संगठन के अधिकारियों के लिए संदर्भ उद्देश्य के लिए है। इसमें आंतरिक उपयोग के लिए तकनीकी पुस्तकें, प्रशासनिक पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य संदर्भ पुस्तकें और मैनुअल हैं।

संगठन ने पहले ही अपनी वेब साइट, http://www.txcindia.gov.in लॉन्च कर दी है। जहां सभी बुनियादी जानकारी उपलब्ध है। जनता के पास आवश्यक जानकारी डाउनलोड करने सहित इस जानकारी तक मुफ्त पहुंच है।

जनता किसी भी जानकारी/मार्गदर्शन के लिए कार्यालय समय के दौरान इस संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और एकीकृत वस्त्र और परिधान विकास केंद्र (आईटीएडीसी) के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकती है। वे संयुक्त वस्त्र आयुक्त, अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त से भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो पूर्व नियुक्ति पर वस्त्र आयुक्तों और वस्त्र आयुक्तों को इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

विभिन्न मामलों पर जन जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर प्रेस नोट जारी किया जाता है और ऐसी प्रेस सूचनाओं को व्यापक कवरेज दिया जाता है।

जन शिकायत अधिकारियों को मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है, जो निर्दिष्ट समय के दौरान या पत्र या टेलीफोन आदि द्वारा संपर्क किए जा सकते हैं।